

कार्यालय:- जिला कार्यक्रम अधिकारी, बदायूँ।

पत्र संख्या

/ जि०का०अधि० / बा०वि०परि० / विज्ञप्ति / 2025-26 दिनांक:- 24/11/25

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद बदायूँ के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत पात्र महिला अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का वार्डवार/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	रिक्त पदों का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की आरक्षण श्रेणी				कुल योग कॉलम (5+6+7+8)
				GEN/UR	OBC	SC	ST	
01	दहगवाँ	आ०बा०सहायिका	55	24	16	15	0	55
02	बिसौली	आ०बा०सहायिका	133	61	40	32	0	133
03	जगत	आ०बा०सहायिका	54	29	13	12	0	54
04	शहर	आ०बा०सहायिका	74	37	16	21	0	74
05	उझानी	आ०बा०सहायिका	60	26	19	15	0	60
06	आसफपुर	आ०बा०सहायिका	76	39	23	14	0	76
07	सहसवान	आ०बा०सहायिका	158	91	33	34	0	158
08	म्याऊँ	आ०बा०सहायिका	112	62	30	20	0	112
09	वजीरगंज	आ०बा०सहायिका	84	42	22	20	0	84
10	सालारपुर	आ०बा०सहायिका	98	55	23	20	0	98
11	दातागंज	आ०बा०सहायिका	56	27	18	11	0	56
12	समरेर	आ०बा०सहायिका	79	44	20	15	0	79
13	अम्बियापुर	आ०बा०सहायिका	87	48	23	16	0	87
14	इस्लामनगर	आ०बा०सहायिका	67	32	21	14	0	67
15	कादरचौक	आ०बा०सहायिका	60	42	08	10	0	60
16	उसावां	आ०बा०सहायिका	64	33	15	16	0	64
		योग	1317	692	340	285	0	1317

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित है। ई०डब्ल्यू०एस०, दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आदि हेतु आरक्षण देय नहीं है। उक्त पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. रिक्त पदों (आंगनबाड़ी सहायिका) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
3. विज्ञापित पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे।
4. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 15.12.2025 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
5. आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
6. उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
7. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
8. गरीबी रेखा के नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता /तलाकशुदा महिलाएं।
9. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

10. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया हो।
12. यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो या कोई तथ्य आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, स्वयं उत्तरदायी होंगी। त्रुटि सुधार हेतु ऑफलाइन आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123/ 26-2-2015 दिनांक 14.09.2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ₹0-46080.00 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में ₹0-56460.00 वार्षिक आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा। तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके।
14. एक आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक परिवार की 02 महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका पद पर नहीं की जायेगी।
15. रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर देखा जा सकता है।
16. अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या-सी-2533 दिनांक 17.11.2025 को जारी विज्ञापित को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित माना जाए।
नोट- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

भवदीय

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बदायूँ।

पृष्ठांकन C-2577/तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0 प्र0 लखनऊ।
02. जिलाधिकारी, बदायूँ।
03. मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ।
04. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद बदायूँ।
05. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), बदायूँ।
06. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण / हिन्दुस्तान को इस आशय से कि अपने समाचार पत्र में उपर्युक्त विज्ञापित प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु उपलब्ध करायें।
07. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बदायूँ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त विज्ञापित की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
08. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विज्ञापित एवं रिक्तियों का विवरण सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराने के साथ ही समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए प्राप्ति रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित समस्त ग्राम प्रधान/सभासद को विज्ञापित का विवरण प्रचार-प्रसार हेतु प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
09. नाजिर, कलेक्ट्रेट/विकास भवन बदायूँ को इस आशय से कि विज्ञापित की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बदायूँ।